जिला पदाधिकारी, जमुई की अध्यक्षता में दिनांक 04.06.2016 को आयोजित जिला स्थापना समिति, जमुई की बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति

1. जिला पदाधिकारी, जमुई
2. अपर समाहर्त्ता, जमुई
3. अनुमंडल पदाधिकारी, जमुई
4. स्थापना उप समाहर्त्ता, जमुई
5. जिला कल्याण पदाधिकारी, जमुई

जिला पदाधिकारी द्वारा स्थापना उप समाहर्त्ता को निदेश दिया गया कि प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा जनगणना के छटनीग्रस्त कर्मचारी को उम्र क्षान्ति की स्वीकृति पदान किये जाने के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई हेतु निर्णय लेने के लिए सभी संदर्भित तथ्यों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

2. स्थापना उप समाहर्त्ता द्वारा जिला स्थापना शाखा, जमुई की संचिका सं0 18–16/12 समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एम0जे0सी0 नं0 2950/2012 अवधेश सिंह एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य तथा एम0जे0सी0 नं0 3060/2012 रमेश पासवान एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक 16.10.2012 तथा दिनांक 08.11.2012 को पारित आदेशों के अनुपालन में जिलान्तर्गत समूह 'घ' के पदों पर भर्त्ती हेतु पैनल तैयार करने की कार्रवाई के क्रम में समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर इच्छुक अभ्यर्थियों से विहित प्रपत्र में आवेदन की मांग की गयी थी, जो दिनांक 26, 27.10.2012 को समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ।

3. स्थापना उप समाहर्त्ता द्वारा जिला चयन समिति की दिनांक 13.12.2012 तथा दिनांक 04.01.2013 को आयोजित बैठक की कार्यवाही समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि प्रकाशित विज्ञापन के उत्तर में जनगणना के छटनीग्रस्त कर्मियेां द्वारा भी विहित प्रपत्र में आवेदन समर्पित किया गया, जिनकी आयु अनुमान्य सीमा से अधिक रहने के कारण इनका आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया तथा निर्धारित तिथि, दिनांक 26.11.2012 तक प्राप्त आवेदनों की सूची, अभ्यर्थिता अस्वीकार किये गये आवेदनों की सूची, औपबंधिक रूप से अभ्यर्थिता स्वीकार किये गये आवेदनों की सूची तथा औपबंधिक मेधा सूची जमुई जिला के वेबसाईट www.jamui.bih.nic.in पर दिनांक 05.01.2013 को प्रकाशित कराते हुए दिनांक 25.01.2013 तक व्यथित अभ्यर्थी से दावा/आपत्ति की मांग की गई।

4. स्थापना उप समाहर्त्ता द्वारा जिला चयन समिति की दिनांक 27.04.2013 का आयोजित बैठक की कार्यवाही समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हुए आगे बताया गया कि जनगणना के छटनीग्रस्त कर्मियों द्वारा दावा/आपत्ति दाखिल करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील नं0 9227–9234/1995 बिहार सरकार एवं अन्य बनाम श्याम यादव एवं अन्य में दिनांक 14.01.1997 तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी सं0 5589/2002 सच्चिदानन्द सिंह एवं बनाम बिहार सरकार में दिनांक 01.03.2004 को पारित आदेशों तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 32/रा0, दिनांक 05.05.1997 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 15531 दिनांक 09.11.2012 के आलोक में अधिकतम आयु सीमा में रियायत देने का अनुरोध किया गया है, जिस पर विचारोपरान्त चयन समिति की उक्त बैठक में प्रस्ताव सं0 5(6) द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जनगणना के छटनीग्रस्त कर्मचारियों, जिनके द्वारा निर्धारित तिथि तक दावा/आपत्ति दाखिल करते हुए उम्र क्षान्ति की स्वीकृति की मांग की गई है, को इस

शर्त्त के अधीन उम्र क्षान्ति की स्वीकृति प्रदान करने हेतु नियमानुसार कार्रवाई के लिए महानिदेशक, जनगणना, बिहार, पटना तथा प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को प्रस्ताव भेजा जायेगा कि अभ्यर्थियों द्वारा इस आशय का दस्तावेज दाखिल किया जायेगा कि जनगणना से छटनी के पश्चात उन्होंने पूर्व में कभी इस सुविधा का लाभ नहीं लिया है, बशर्त्ते संबंधित अभ्यर्थी मेधा सूची में प्राप्त स्थान के आधार पर रिक्तियों के विरूद्ध अनुमोदित आरक्षण रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की परिधि में आते हों।

स्थापना उप समाहर्त्ता द्वारा आगे बताया गया कि जनगणना के छटनीग्रस्त कर्मियों के रूप में जिन 17 अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक दावा/आपत्ति दाखिल किया गया था, जिस पर जिला चयन समिति की दिनांक 27.04.2013 को आयोजित बैठक में लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में इनका नाम अंतिम मेधा सूची में सम्मिलित किया गया, जो तृतीय पुनरीक्षित अन्तिम मेधा सूची, दिनांक 22.03.2014 के क्रमांक 81 (EBC), 82 (G), 84 (BC), 85 (SC), 86 (G), 87 (EBC), 88 (BC), 89 (G), 92 (EBC), 93 (EBC), 96 (G), 98 (EBC), 114 (G), 116 (EBC), 119 (BC), 128 (BC) तथा 173 (BC) पर अंकित है।

5. स्थापना उप समाहर्त्ता द्वारा जिला चयन समिति, जमुई की दिनांक 27.03.2014 को आयोजित बैठक की कार्यवाही समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हुए आगे बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा अन्य अवमाननावादों एम0जे0सी0 सं0 6599/2012 तथा एम0जे0सी सं0 6600/2012 एवं एम0जे0सी0 सं0 30/2013 में दिनांक 05.03.2014 तथा दिनांक 12.03.2014 को पारित आदेशों के अनुपालन में दिनांक 31.03.2014 के पूर्व नियुक्ति की कार्रवाई की जानी थी। फलतः चयन समिति द्वारा तत्समय समाहरणालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई के कार्यालय तथा पथ प्रमंडल, जमुई में उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्ध अनुमोदित आरक्षण रोस्टर के विरूद्ध तृतीय पुनरीक्षित अन्तिम मेधा सूची, दिनांक 22.03.2014 के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन कर नियुक्ति प्राधिकार को अनुशंसित करने का निर्णय लिया गया, जिनमें जनगणना के छटनीग्रस्त कर्मियों के रूप में सम्मिलित अभ्यर्थियों में-से 12 अभ्यर्थी वरीयतानुसार अनुशंसित हो सके, जिनको अनुशंसित किये जाने की स्थिति निम्नवत है:-

कार्यालय का नाम	अधियाचित रिक्ति की आरक्षण कोटि एवं रिक्ति की संख्या	अनुशंसित अभ्यर्थी की तृतीय पुनरीक्षित अन्तिम मेधा सूची का क्रमांक	अभ्युक्ति
1	2	3	4
समाहरणालय एवं अधीनस्थ कार्यालय	अनुसूचित जाति-01	85-अनुसूचित जाति	-
जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई का कार्यालय	अनारक्षित-13	81-अ0पि0व0 82-सामान्य	जनगणना के छटनीग्रस्त कर्मियों से भिन्न अभ्यर्थी, जिनका नाम क्रमांक 65, 67, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 80 तथा 83 पर अंकित है, की अनुशंसा की गयी है।
	अनुसूचित जाति-04	-	जनगणना के छटनीग्रस्त कर्मियों से भिन्न अभ्यर्थी, जिनका नाम क्रमांक 133, 134, 135, तथा 136 पर अंकित है, की अनुशंसा की गयी है।
	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग-05	87-अ0पि0व0 92-अ0पि0व0 93-अ0पि0व0 98-अ0पि0व0	जनगणना के छटनीग्रस्त कर्मियों से भिन्न अभ्यर्थी, जिनका नाम क्रमांक 90 पर अंकित है, की अनुशंसा की गयी है।
	पिछड़ा वर्ग-03	84-पि0 व0 88-पि0व0	जनगणना के छटनीग्रस्त कर्मियों से भिन्न अभ्यर्थी, जिनका नाम क्रमांक 104 पर अंकित है, की अनुशंसा की गयी है।

कार्यालय का नाम	अधियाचित रिक्ति की आरक्षण कोटि एवं रिक्ति की संख्या	अनुशंसित अभ्यर्थी की तृतीय पुनरीक्षित अन्तिम मेधा सूची का क्रमांक	अभ्युक्ति
1	2	3	4
पथ प्रमंडल, जमुइ	अनारक्षित–03	86–सामान्य 89–सामान्य	जनगणना के छटनीग्रस्त कर्मियों से भिन्न अभ्यर्थी, जिनका नाम क्रमांक 91 पर अंकित है, की अनुशंसा की गयी है।
	अनु0 जाति–03	—	जनगणना के छटनीग्रस्त कर्मियों से भिन्न अभ्यर्थी, जिनका नाम क्रमांक 137, 138, 142 पर अंकित है, की अनुशंसा की गयी है।
	अनु0 जन जाति–02	—	जनगणना के छटनीग्रस्त कर्मियों से भिन्न अभ्यर्थी, जिनका नाम क्रमांक 126, 209 पर अंकित है, की अनुशंसा की गयी है। (जिला चयन समिति, जमुई की दिनांक 09.10.2014 को आयोजित बैठक की कार्यवाही की कंडिका 8 द्रष्टव्य)
	अ0पि0वर्ग–02	116–अ0पि0व0	जनगणना के छटनीग्रस्त कर्मियों से भिन्न अभ्यर्थी, जिनका नाम क्रमांक 106 पर अंकित है, की अनुशंसा की गयी है।
	पिछड़ा वर्ग–02	—	जनगणना के छटनीग्रस्त कर्मियों से भिन्न अभ्यर्थी, जिनका नाम क्रमांक 107, 115 पर अंकित है, की अनुशंसा की गयी है।

स्थापना उप समाहर्त्ता द्वारा चयन समिति की उक्त बैठक की कार्यवाही की कंडिका 4 की ओर जिला स्थापना समिति का ध्यान आकृष्ट करते हुए बताया गया कि चयन समिति की दिनांक 27.04.2013 को आयोजित बैठक की कंडिका 5 (6) में लिये गये नीतिगत निर्णय के आलोक में तत्काल उक्त अनुशंसा को स्थगित रखते हुए इन अभ्यर्थियों के लिए रिक्ति को सुरक्षित रखने का निर्णय लिया गया।

स्थापना उप समाहर्त्ता द्वारा जिला स्थापना समिति, जमुई की दिनांक 30.03.2014 को आयोजित बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक 18–19/12–242/स्था0 दिनांक 30.03.2014 समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि जिला चयन समिति की दिनांक 27.03.2014 को आयोजित बैठक में की गयी अनुशंसा एवं लिये गये निर्णयों के आलोक में समाहरणालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्ध जिला स्थापना समिति द्वारा नियुक्ति का निर्णय लिया गया। परन्तु आरक्षण बिन्दु 156 अनुसूचित जाति की रिक्ति को सुरक्षित रखने का निर्णय लिया गया।

6. जिला पदाधिकारी द्वारा यह निदेश दिया गया कि जनगणना के छटनीग्रस्त कर्मियों में–से शेष 5 अभ्यर्थियों की अनुशंसा पर विचार किये जाने की स्थिति से भी समिति को अवगत कराया जाय, जिस पर स्थापना उप समाहर्त्ता द्वारा जिला चयन समिति, जमुई की दिनांक 15.09.2014 तथा दिनांक 18.10.2014 की कार्यवाही समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि तृतीय पुनरीक्षित अंतिम मेधा सूची, दिनांक 22.03.2014 के आलोक में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जमुई के कार्यालय में आरक्षण कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्ध की गई अनुशंसा में अन्य अभ्यर्थियों के अतिरिक्त क्रमांक 96 (G), 114 (G), 119 (BC), 128 (BC) तथा 173 (BC) पर जनगणना के छटनीग्रस्त कर्मियों के रूप में अंकित अभ्यर्थियों के नाम भी सम्मिलित हैं

तथा समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इन्हें उम्र क्षान्ति की स्वीकृति प्रदान करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जमुई द्वारा की जायेगी एवं कार्यालय अभिलेख के अनुसार इस मामले में अपेक्षित कार्रवाई की जा चुकी है।

7. स्थापना उप समाहर्त्ता द्वारा जिला स्थापना शाखा की संचिका सं0 18–22/12 तथा संचिका सं0 28–8/14 समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हुए आगे बताया गया कि जिला चयन समिति, जमुई की दिनांक 27.04.2013 को आयोजित बैठक की कार्यवाही की कंडिका 5 (6) तथा दिनांक 27.03.2014 को आयोजित बैठक की कार्यवाही की कंडिका 4 में लिये गये निर्णयों के आलोक में जिला स्थापना शाखा, जमुई के ज्ञापांक 18–22/12–238/स्था0, दिनांक 29.03.2014 द्वारा जनगणना के छटनीग्रस्त कर्मियों के रूप में मेधा सूची में सम्मिलित 12 अभ्यर्थियों को स्पीड पोस्ट के माध्यम से नोटिस निर्गत कर इस आशय का दस्तावेज दाखिल करने का निदेश दिया गया कि जनगणना से छटनी के पश्चात उन्होंने पूर्व में कभी उम्र क्षान्ति का लाभ नहीं लिया है। इस पत्र की प्रतिलिपि प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/महानिदेशक, जनगणना, बिहार, पटना तथा प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को भी दी गयी है।

स्थापना उप समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि उक्त आलोक में 10 अभ्यर्थियों द्वारा जनगणना से छटनी के पश्चात उम्र सीमा में छूट का लाभ नहीं लिये जाने से संबंधित शपथ पत्र तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0 283 (4)/रा0, दिनांक 19.06.2013 तथा पत्रांक 32 दिनांक 05.03.1997 की प्रतियाँ भेजी गयी, जबकि जनगणना निदेशालय के पत्रांक 1088 दिनांक 10.04.2014 द्वारा इस कार्यालय से निर्गत नोटिस के क्रमांक 9 एवं 11 पर अंकित अभ्यर्थियों को छोड़कर शेष 10 अभ्यर्थियों द्वारा उम्र सीमा में छूट से संबंधित निदेशालय में दाखिल आवेदन मूल रूप में इस कार्यालय को भेजा गया। परन्तु अभ्यर्थियों द्वारा अपने दावा के समर्थन में जनगणना कार्यालय में हुई नियुक्ति से संबंधित नियुक्ति पत्र की प्रति उपलब्ध नहीं कराया गया। फलतः जिला स्थापना शाखा, जमुई के ज्ञापांक 28–8/14–437/स्था0, दिनांक 09.07.2014 द्वारा पुनः सभी अभ्यर्थियों को स्पीड पोस्ट के माध्यम से नोटिस निर्गत कर जनगणना कार्यालय में नियुक्ति से संबंधित नियुक्ति पत्र तथा छटनी प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छाया प्रतियाँ तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। इस पत्र की प्रतिलिपि सहायक निदेशक, जनगणना कार्यालय, बिहार, पटना को भी दी गयी है।

स्थापना उप समाहर्त्ता द्वारा आगे बताया गया कि उक्त नोटिस के उत्तर में अभ्यर्थियों द्वारा जनगणना कार्यालय में संविदा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित कार्यालय ज्ञापन तथा DISCHARGE–CUM-CONDUCT CERTIFICATE की छाया प्रतियाँ उपलब्ध करायी गयी, जिसके आधार पर जिला स्थापना शाखा, जमुई के पत्रांक 648/स्था0, दिनांक 30.09.2014 द्वारा अभ्यर्थियों के संविदा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित कार्यालय ज्ञापन तथा DISCHARGE–CUM-CONDUCT CERTIFICATE की एक–एक प्रति संलग्न करते हुए प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना तथा महानिदेशक, जनगणना, बिहार, पटना से इस बिन्दु पर निदेश की मांग की गयी कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 283 दिनांक 19.06.2013 के तहत संबंधित अभ्यर्थी जनगणना 1991 के छटनीग्रस्त कर्मियों की परिधि में आते हैं अथवा नहीं ? साथ ही, यह प्रस्ताव भी समर्पित किया गया कि यदि इन्हें जनगणना 1991 के छटनीग्रस्त कर्मी के रूप में उम्र सीमा में छूट का लाभ दिया जाना है, तो विभाग के स्तर से उम्र क्षान्ति की स्वीकृति प्रदान किया जाना आवश्यक है, जिसके उत्तर में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1117(4)/रा0, दिनांक 27.11.2014 द्वारा यह निदेश दिया गया कि जनगणना के छटनीग्रस्त कर्मियों की श्रेणी में वैसे कर्मियों को रखा जाय, जिन्होंने जनगणना कार्यालय में निरन्तर छः महीने या उससे अधिक की सेवा की हो। विभागीय पत्र में यह भी निदेशित है कि जनगणना निदेशालय द्वारा निर्गत छटनी–सह–आचरण प्रमाण–पत्र में अंकित योगदान तिथि

तथा छटनी तिथि के आधार पर कार्य अवधि की गणना की जानी है एवं जन्म तिथि प्रमाण–पत्र के आधार पर जनगणना में नियुक्ति के समय उम्र की गणना कर यह विनिश्चय किया जाना है कि इनकी उम्र जनगणना में नियुक्ति के दिन निर्धारित उम्र सीमा के अन्दर थी या नहीं।

स्थापना उप समाहर्त्ता द्वारा आगे बताया गया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभागीय पत्रांक 1117(4)/रा0 दिनांक 27.11.2014 के आलोक में जनगणना के 12 छटनीग्रस्त कर्मियों की सूची एक प्रपत्र में तैयार की गयी, जिसमें अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल प्रमाण–पत्र तथा कागजात की छाया प्रतियों के आधार पर इनकी जन्म तिथि, आरक्षण कोटि, जनगणना कार्यालय में संविदा के आधार पर नियोजन की तिथि, नियोजन समाप्ति की तिथि, जनगणना कार्यालय में कार्यावधि, जनगणना कार्यालय में नियोजन की तिथि को अनुमान्य आयु सीमा, जनगणना संगठन से छटनी के पश्चात् उम्र सीमा में रियायत का लाभ पूर्व में नहीं लेने से संबंधित शपथ पत्र की संख्या तथा समूह "घ" के पद पर नियुक्ति के लिए प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार दिनांक 01.10.2012 को अभ्यर्थी की आयु एवं अधिकतम उम्र सीमा में रियायत की अवधि अंकित कर जिला स्थापना शाखा, जमुई के पत्रांक 28–8/14–26/स्था0, दिनांक 13.01.2015 द्वारा प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को प्रपत्र में अंकित अवधि के लिए अभ्यर्थियों को उम्र क्षान्ति की स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव समर्पित किया गया, जिसके उत्तर में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–71 (4)/रा0, दिनांक 10.02.2015 द्वारा निदेशित किया गया है कि बिहार सेवा संहिता के नियम 54 के तहत अधिकतम उम्र सीमा को शिथिल किया जाता है जिसके आलोक में जनगणना के छटनीग्रस्त कर्मियों को एक बार उम्र सीमा में छूट का प्रावधान करते हुए सरकार के स्तर पर नीतिगत निर्णय लिया गया है। प्रत्येक मामले में विभाग के स्तर से उम्र क्षान्ति की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, जिस पद का नियुक्ति होनी है उसके अनुरूप सक्षम प्राधिकार से उम्र क्षान्ति की स्वीकृति प्रदान की जाना है।

8. स्थापना उप समाहर्त्ता द्वारा जिला स्थापना शाखा की संचिका संख्या–5–20/15 समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि इस बीच जनगणना के छटनीग्रस्त कर्मियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सी0डब्लू0जे0सी0 नं0 4083/2015 मो0 वकीलुदीन एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य दायर कर शीघ्र नियुक्ति की माँग की गई, जिसमें प्रतिवादी संख्या–6 जिला पदाधिकारी, जमुई की ओर से ओथ नं0 24598 दिनांक 04.05.2015 द्वारा प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 02.07.2015 को इस आदेश के साथ याचिका को निष्पादित किया गया कि अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मुंगेर द्वारा रोस्टर क्लीयरेन्स के लिए समर्पित प्रस्ताव पर प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा 15 दिनों के अंदर निर्णय लिया जाय तथा अनुशंसा प्राप्त होते ही प्रतिवादी अधिकारी द्वारा बिना विलम्ब के अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

9. स्थापना उप समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि इस बीच जिला चयन समिति, जमुई की दिनांक 02.05.2015 को आयोजित बैठक में जनगणना के छटनीग्रस्त कर्मियों को उम्र क्षान्ति की स्वीकृति प्रदान किए जाने के बिन्दु पर अब तक की गई कार्रवाई पर विचारोपरान्त राजस्व एवं भूमि सुधार विभागीय पत्रांक 1117(4)/रा0, दिनांक 27.11.2014 तथा पत्रांक 71(4)/रा0, दिनांक 10.02.2015 द्वारा दिए गए निदेशों के आलोक में जिला चयन समिति, जमुई की दिनांक 27.03.2014 की बैठक में समाहरणालय एवं अधीनस्थ कार्यालय तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई एवं पथ प्रमंडल, जमुई की रिक्तियों के विरूद्ध जनगणना के छटनीग्रस्त कर्मियों की नियुक्ति की अनुशंसा को स्थगित रखने के निर्णय पर पुर्नविचार करते हुए इस शर्त्त के साथ अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया कि संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकार के स्तर से उम्र क्षान्ति की स्वीकृति का आदेश निर्गत किया जायेगा। इस बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक 361/स्था0, दिनांक 02.05.2015 द्वारा

अनुपालन हेतु कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, जमुई तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई को भेजी गयी है।

10. स्थापना उप समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि समाहरणालय संवर्ग की रिक्ति के विरूद्ध अनुशंसित अभ्यर्थी श्री विजय चौधरी, पे0–स्व0 प्रभु चौधरी द्वारा इस बीच माननीय उच्च न्यायालय में एक अलग याचिका सी0डब्लू0जे0सी0 नं0 15153/15 विजय चौधरी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य दाखिल किया गया, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04.04.2016 को इस आदेश के साथ निष्पादित किया गया कि जिलाधिकारी, जमुई द्वारा उम्र क्षान्ति की स्वीकृति हेतु यदि प्रमंडलीय आयुक्त को अब तक प्रस्ताव नहीं भेजा गया है, तो तीन सप्ताह के अंदर प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा, जिस पर प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा चार सप्ताह के अंदर निर्णय लिया जायेगा।

स्थापना उप समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि न्यायिक आदेश के अनुपालन में अभ्यर्थी विजय चौधरी को उम्र क्षान्ति की स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव जिला स्थापना शाखा, जमुई के पत्रांक 28–8/14–271/स्था0, दिनांक 24.04.2016 द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त को समर्पित किया गया, जिस पर आयुक्त के सचिव, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक 138/सी0/नजा0, दिनांक 13.05.2016 द्वारा उम्र क्षान्ति के प्रस्ताव पर प्रमंडलीय आयुक्त की स्वीकृति संसूचित की गयी है। फलतः अभ्यर्थी श्री विजय चौधरी को समाहरणालय संवर्ग में समूह "घ" के पद पर नियुक्ति के बिन्दु पर निर्णय लिया जाना है।

11. वर्णित तथ्यों के आलोक में जिला स्थापना समिति द्वारा यह पाया गया कि तृतीय पुनरीक्षित अंतिम मेधा सूची के क्रमांक 85 पर अंकित अनु0 जाति के अभ्यर्थी श्री विजय चौधरी की नियुक्ति की अनुशंसा समाहरणालय संवर्ग में समूह "घ" की रिक्ति के विरूद्ध रोस्टर बिन्दु 156 अनु0जाति के विरूद्ध की गयी है तथा इस रिक्ति को सुरक्षित रखा गया है एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभागीय निदेशों के आलोक में प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा उम्र क्षान्ति की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

अतः समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त तृतीय पुनरीक्षित अंतिम मेधा सूची दिनांक 22.03.2014 के क्रमांक 85 पर अंकित अभ्यर्थी श्री विजय चौधरी, पे0–स्व0 प्रभु चौधरी, मेन रोड हिल्सा बरूणतल, पोस्ट–हिल्सा, थाना–हिल्सा, जिला–नालन्दा को समाहरणालय संवर्ग की रिक्ति के आरक्षण बिन्दु 156 अनु0 जाति के विरूद्ध वेतनमान रू0 4440–7440 में पूर्णतः अस्थायी रूप से नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।

जिलाधिकारी के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

4/6/16

जिला पदाधिकारी
जमुई

ज्ञापांक 28–8/14– 324 /स्था0, दिनांक– 04.06.2016

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/महानिदेशक, जनगणना, बिहार, पटना/आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

4/6/16

जिला पदाधिकारी
जमुई